उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 36/2017/270/92-2-2017-11जॉच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 01 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मैनपुरी में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो के तकनीकी प्राक्क्लनो की स्वीकृति में की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के फलस्वरूप परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रूपये-3,44,577.00/- हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर पर श्री गुलाम रसूल, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मैनपुरी सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल- कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 36/2017/270(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आरोप पत्र में यथास्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये प्राप्ति रसीद शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री गुलाम रसूल, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–मैनपुरी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in